14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1367-दो/2006 - विरूद्व आदेश दिनांक 16-5-2006 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 249/1995-96 अपील

1- श्रीमती शांतिवाई पत्नि स्व.हनुमान प्रसाद
2- शिवशंकर प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद
3- सुश्री शीला पुत्री स्व.हनुमान प्रसाद
4- राजकुमार पुत्र स्व.हनुमान प्रसाद
5- भरतलाल पुत्र स्व.हनुमान प्रसाद
सभी ग्राम कुटाई तहसील मेहर जिला सतना
6- श्रीमती वेवी पत्नि वीरेन्द्रकुमार पांडे पुत्री स्व.हनुमानप्रसाद
ग्राम सरसवाही तहसील जयसिंह नगर जिला शहडौल ——आवेदकगण

विरूद्व

1- रामलखन पुत्र रामरूद्र (मृतक) वारिस कुशमणि त्रिपाठी
2- शत्रुहनप्रसाद पुत्रगण रामरूद्र उरमलिया
निवासी ग्राम मगराज तहसील अमरपाटन जिला सतना
3- श्रीमती चन्द्रवति पत्नि स्व. गंगाप्रसाद उरमलिया
4- राममणि 5- सूर्यमणि 6- बलराम 7- मनोज
8- अनिल सभी पुत्रगण गंगा प्रसाद निवासी ग्राम
कुटाई तहसील मेहर जिला सतना ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 02- 11 -2017 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 249/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-5-2006 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रामलखन एंव शत्रुहनप्रसाद पुत्रगण रामरूद्र उरमलिया ने तहसीलदार मेहर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सामिलाती भूमि के

बटवारे की मांग की। तहसीलदार वृत्त नादन तहसील मेहर ने प्र0 क0 19 अ 27/ 1993-94 दर्ज किया तथा आदेश दिनांक 30-7-1994 में अंकित अनुसार भूमि का बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मेहर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी मेहर ने प्रकरण कमांक 145/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-11-1996 से अपील स्वीकार की । इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 249/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-5-2006 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी मेहर का आदेश दिनांक 27-11-1996 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव तहसीलदार के आदेश दिनांक 30-7-1994 में , अनुविभागीय अधिकारी मेहर के आदेश दिनांक 27-11-1996 में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 16-5-2006 में आये तथ्यों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी मेहर ने तहसीलदार के बटवारा आदेश दिनांक 30-7-94 को इस आधार पर निरस्त किया है कि प्रकरण में आवेदकगण ने खाते से अपीलांट का नाम प्रथक करने का आवेदन पत्र दिया है जो बटवारे का नामान्तरण के अंतर्गत निर्णीत नहीं किया जा सकता। विचार योग्य है कि यदि संयुक्त परिवार के खाते की भूमि यदि एक पक्षकार के नाम कई सर्वे नंबरों में अंकित है , बटवारा करने पर अन्य पक्षकार के हिस्से में यदि जाती है, निश्चित है कि ऐसे नामांकित पक्षकार का नाम उस सर्वे नंबर से कम होकर अन्य के नाम किया जावेगा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में निकाले गये निष्कर्ष को अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने इन्हीं कारणों से स्वीकार नहीं किया है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी मेहर ने आदेश दिनांक 27-11-1996 में निर्णीत किया है कि संहिता की धारा 117 के अनुसार भू अभिलेख प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा की जायेगी कि वे सही हैं जब तक कि प्रतिकूल सावित न कर दिया जाये। मौखिक साक्ष्य गलत सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 16-5-2006 के पद 5 में

विवेचित किया है कि विवादित आराजी के भूमिस्वामी रामरूद्र प्रसाद थे। विचारण न्यायालय में रिस्पाण्डेन्ट हनुमान प्रसाद ने स्वत्व का प्रश्न दिनांक 2-2-94 को उठाया था तो उसे स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से कराना था जो उसके व्दारा नहीं कराया गया। जब बटवारे में विचारित भूमि के पूर्व भूमि स्वामी रामरूद्र प्रसाद अर्थात पक्षकारों के पूर्वज रहे हैं तहसीलदार वृत्त नादन व्दारा प्रकरण कमांक 19 अ 27/ 1993-94 में पारित आदेश दिनांक 30-7-1994 से रामरूद्र प्रसाद के उत्तराधिकारियों के बीच किये गये बटवारे में अनुविभागीय अधिकारी मेहर व्दारा किया गया हस्तक्षेप उचित नहीं माना जा सकता , जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 249/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-5-2006 से अनुविभागीय अधिकारी मेहर के आदेश दिनांक 27-11-96 को निरस्त करने में त्रृठि नहीं की है। जहॉ तक आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा वाद विचारित भूमि में स्वत्व उत्पन्न होने वावत् उठाये गये बिन्दु पर विचार का प्रश्न है - स्वत्व के मामले के निराकरण हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम न होने से आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा की गई मांग पर विचार संभव नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 249/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-5-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर